न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 73/2017 दायरा दिनांक : 03.05.2017

उनवान

1— द्वारकीबाई पत्नी टीकमचंद जाति धाकड

2— टीकमचंद आत्मज मोतीलाल जाति धाकड

अकवाम निवासीगण ग्राम पछाड तहसील छीपाबडौद जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— मोतीलाल आत्मज श्री कृष्ण

2— राजाराम आत्मज मोतीलाल

3— भगवान लाल आत्मज मोतीलाल

अकवाम जाति धाकड निवासीगण ग्राम पछाड तहसील छीपाबडौद जिला बारां

4— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छीपाबडौद जिला बारां (राज.)

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री सी0 पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 15.06.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 66/2016 निर्णय दिनांक 21.03.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के द्वारा रेस्पोडेंटगण के खिलाफ एक दावा बाबत बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था जो दिनांक 15.04.2010 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गया । वादी ने आर्डर 9 नियम 4 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे स्वीकार कर प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिया गया। इनके विरूद्व एक निगरानी माननीय राजस्व मण्डल में पेश की गई जिसे माननीय राजस्व मण्डल ने स्वीकार किया । इसके उपरान्त वादीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 सी पी सी अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आर्डर 9 नियम 9 का प्रार्थना पत्र मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है । अपीलांट ने पूर्व में आर्डर 9 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया था जिस पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 के तहत पेश होना चाहिए इस कारण निगरानी स्वीकार की गई । अधीनस्थ नयायालय ने आर्डर 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र को मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है जबकि न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना चाहिए था ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण सन् 2006 में रिमाण्ड हुआ था । सन् 2010 में अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया । अधीनस्थ न्यायालय में आर्डर 9 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो स्वीकार किया गया परन्तु निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल ने यह माना की प्रार्थना पत्र 9 नियम 9 के तहत पेश होना चाहिए इस कारण से निगरानी स्वीकार की । वादी अपीलांट ने आर्डर 9 नियम 9 के तहत का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे मियाद के बिन्दु पर खारिज किया है । न्याय हित में अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2011–12 सप्लीमेट्री पेज 92 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी स्वीकार की गई और आर्डर 9 नियम 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने की छूट नहीं दी है । आर्डर 9 नियम 4 के तहत प्रार्थना पत्र गलत माना कर निगरानी स्वीकार की थी । अपील प्रार्थना पत्र गम्भीर रूप से विलम्ब से पेश किया गया है । विलम्ब का समुचित कारण नहीं बताया है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर सलंग्न माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय का अवलोकन किया गया । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा यह कथन करते हुए निगरानी स्वीकार की गई है कि प्रार्थना पत्र आर्डर 9 नियम 9 के तहत पेश किया जाना चाहिए था न कि आर्डर 9 नियम 4 के तहत । माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपीलांट को पुनः 9 रूल 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश करने के निर्देश नहीं दिये है। फिर भी अपीलांट के द्वारा 9 रूल 9 के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जाना उचित माना जाये तो भी माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय से लगभग 2 वर्ष विलम्ब से पेश किया गया है। निर्णय दिनांक 22.10.2014 का है और प्रार्थना पत्र दिनांक 27.05.2016 को पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट प्रार्थी का खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक यथावत 21.03.2017 रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा